| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
|---|---|
| | निर्माण कार्य के बेदखल करने से रोका जावे। प्रथम दृष्टया प्रतीत का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में होता है। अ.प्र. अप्रार्थीगण के अस्थायी निषेधाज्ञा से वह अन्तर से पाबन्द किया जाता है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि में मौके की यथास्थिति बनाए रखें। आदेश आगामी दिनांक तक प्रभावी होगा। अप्रार्थीगण की तामीली जर्ये Regular Act की जाकर पत्रावली 21.11.17 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा) |
| 3.11.17 | पावती प्रार्थना के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थना के तर्क वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत and S.D.O. [illegible] प्रार्थना पत्र को [illegible] नहीं चाहती है पक्षकारान ने राजीनामा हो चुका है प्रार्थना [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] [illegible] अपील दायर हो। उप जिला कलेक्टर बांदीकुई (दौसा) |